भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1977

07 अगस्त, 2023 को उत्तर के लिए

शहरी विकास के मामलों में चुनौतियां

1977. श्री के.सी. वेणुगोपालः
डा. अमी याज्ञिकः
श्रीमती फूलो देवी नेतमः

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) छोटे और मध्यम शहरों के लिए शहरी अवसंरचना विकास योजनाओं की प्रगति का ब्यौरा और स्थिति क्या है;

(ख) वर्ष 2018 से देश भर में स्वच्छ जल की आपूर्ति और संबद्ध परियोजनाओं की दिशा में अटल नवीनीकरण और शहरी परिवर्तन के लिए मिशन (अमृत) परियोजना द्वारा उठाए गए कदमों और उपलब्धियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार की शहरी परिवारों, विशेषकर गरीब और उपेक्षित समुदायों के लिए आवास, जलापूर्ति, जल मल निकास व्यवस्था विकसित करने की कोई योजना है; और

(घ) शहरी क्षेत्र की नीतियों के संबंध में नवगठित उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों की स्थिति क्या है?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री कौशल किशोर)

(क): अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) 2.0 का उद्देश्य देश भर के सभी लगभग 4,902 कस्बों/शहरों में जल आपूर्ति की सार्वभौमिक कवरेज प्रदान करना है। छोटे और मध्यम शहरों अर्थात 1 लाख से कम जनसंख्या वाले कस्बों के लिए, 2,466 छोटे और मध्यम कस्बों में कार्यान्वयन हेतु अमृत 2.0 के तहत 21,686.21 करोड़ रू. की केंद्रीय सहायता के साथ 45,939.37 करोड़ रू. की लागत वाली 4,669 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इन

परियोजनाओं के माध्यम से, 70.84 लाख नए जल नल कनेक्शन प्रदान करने की योजना है और जल शोधन क्षमता को 3,477.36 मिलियन लीटर प्रति दिन (एमएलडी) तक जोड़ने/बढ़ाने की योजना है। इसी तरह, 62,920 नए सीवर कनेक्शन प्रदान करने की योजना है, जिसमें 52.55 एमएलडी की सीवेज शोधन क्षमता में वृद्धि संवर्धन शामिल है। इसके अलावा, नवीरकण के लिए 1,458 जलाशयों और 928 पार्कों के विकास की भी योजना बनाई गई है।

(ख): जल आपूर्ति राज्य का विषय है। तथापि, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने राष्ट्रीय मिशन अर्थात अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) और अमृत 2.0 के विभिन्न दिशानिर्देश और कार्यान्वयन के माध्यम से शहरी क्षेत्रों में ताजा जल आपूर्ति की दिशा में कई कदम उठाए हैं।

देश की 60% शहरी जनसंख्या को कवर करने वाले 500 मिशन शहरों में जल आपूर्ति के सार्वभौमिक कवरेज को प्राप्त करने के उद्देश्य से 2015 में प्रथम जल केंद्रित राष्ट्रीय शहरी मिशन के रूप में अमृत मिशन शुरू किया गया था। अमृत के तहत 77,640 करोड़ रुपए की अनुमोदित योजना में से, जल आपूर्ति क्षेत्र के लिए 39,011 करोड़ रुपए (50%) की बड़ी राशि आवंटित की गई है। अब तक, 20,056 करोड़ रुपये की 1,026 पूरी की गई परियोजनाओं सहित 42,863 करोड़ रुपये की 1,346 परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं(अमृत के तहत जल आपूर्ति परियोजनाओं की राज्य-वार स्थिति अनुलग्नक-I पर दी गई है)। 38,000 करोड़ रुपये के कुल वास्तविक कार्य 34,247 करोड़ रुपये के व्यय के साथ पूरे किए गए हैं। अमृत परियोजनाओं के माध्यम से और अन्य योजनाओं के साथ अभिसरण में, अब तक 1.39 करोड़ के लक्ष्य के मुकाबले 1.72 करोड़ नल कनेक्शन (नए और मरम्मत किए गए) प्रदान किए गए हैं। (नल कनेक्शनों की राज्य-वार प्रगति अनुलग्नक-II में दी गई है)

500 शहरों से सभी सांविधिक शहरों (लगभग 4,902) में जल आपूर्ति के सार्वभौमिक कवरेज के उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए, अमृत 2.0 को 2021 में आरंभ किया गया है जो देश भर के सभी सांविधिक शहरों को 'जल सुरक्षित' बनाने पर केंद्रित है। 2.68 करोड़ नए नल कनेक्शन प्रदान करके यह लक्ष्य प्राप्त किया जाएगा। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय को शीर्ष समिति के विचार हेतु राज्य जल कार्य योजना (एसडब्ल्यूएपी) प्रस्तुत करने की प्रक्रिया में हैं। अब तक, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा 91,557 करोड़ रुपये (प्रचालन और अनुरक्षण लागत सहित) की 3,216 जल आपूर्ति परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इन परियोजनाओं के माध्यम से 1.57 करोड़ नए नल कनेक्शन प्रदान करने की योजना है और 1.89 करोड़ मौजूदा कनेक्शनों की मरम्मत प्रदान करने की योजना है।

(ग): अमृत 2.0 का उद्देश्य सभी सांविधिक शहरों (लगभग 4,902) में जल आपूर्ति का सार्वभौमिक कवरेज प्रदान करना और स्लम/गरीब और वंचित समुदायों के अंतर्गत आने वाले परिवारों सहित 500 अमृत शहरों में सीवरेज और सेप्टेज प्रबंधन का सार्वभौमिक कवरेज सुनिश्चित करना है।

अनुमोदित परियोजनाओं के माध्यम से, स्लमों में दिए गए 20.10 लाख कनेक्शन सहित 1.57 करोड़ नए नल कनेक्शन प्रदान करने की योजना है और स्लमों के 20.10 लाख कनेक्शन सहित 1.89 करोड़ मौजूदा कनेक्शनों के मरम्मत करने की योजना है। इसी प्रकार, 34 लाख नए सीवर कनेक्शन प्रदान करने की योजना है, जिसमें स्लमों के 3.94 लाख कनेक्शन शामिल है और 55 लाख मौजूदा कनेक्शन की मरम्मत कराने की योजना है, जिनमें स्लमों के 3.09 लाख कनेक्शन भी शामिल हैं।

इसके अलावा, प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) योजना के माध्यम से, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय गरीब और वंचित समुदायों सहित शहरी परिवारों को आवास प्रदान कर रहा है।

(घ): समिति ने अप्रैल, 2023 में अपनी पहली मसौदा रिपोर्ट प्रस्तुत की और इसकी प्रमुख सिफारिशों में राष्ट्रीय नगर क्षेत्र परिषद की स्थापना, शहरी नियोजन के लिए एक राष्ट्रीय प्राधिकरण और राष्ट्रीय स्तर की सेवा की स्थापना, आयोजना, कर्मिकों और क्षमता निर्माण आदि के लिए केंद्रीय सहायता योजना का विस्तार करना और राज्य / नगर योजना विभाग (ओं) को सुव्यवस्थित करना और राज्य / नगर योजना अधिनियमों और विनियमों को संशोधित करना और उनका आधुनिकीकरण करना शामिल है।

"शहरी विकास के मामलों में चुनौतियों" के संबंध में 07 अगस्त, 2023 के राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1977 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-I

अमृत के तहत जल आपूर्ति परियोजनाओं की राज्यवार स्थिति

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कार्य पूर्ण		दी गई संविदा		कुल	
		सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	62	5.49	6	1.12	68	6.61
2	आंध्र प्रदेश	28	606.48	45	1,713.29	73	2,319.77
3	अरूणाचल प्रदेश	3	27.42	1	5.70	4	33.12
4	असम			4	609.73	4	609.73
5	बिहार	9	378.84	27	1,807.23	36	2,186.07
6	चंडीगढ़	7	35.87			7	35.87
7	छत्तीसगढ़	48	909.60	22	952.26	70	1,861.86
8	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	1	41.28	-	-	1	41.28
9	दिल्ली	8	199.64	1	46.00	9	245.64
10	गोवा	1	0.26	2	96.36	3	96.62
11	गुजरात	120	1,447.17	12	271.75	132	1,718.92
12	हरियाणा	32	438.50	8	331.69	40	770.19
13	हिमाचल प्रदेश	21	57.41	4	25.89	25	83.30
14	जम्मू और कश्मीर	2	26.00	-	-	2	26.00
15	झारखंड	5	171.95	10	1,162.23	15	1,334.18
16	कर्नाटक	29	866.72	15	1,346.37	44	2,213.09
17	केरल	150	801.14	28	559.06	178	1,360.20
18	लद्दाख	1	0.44	8	31.71	9	32.15
19	लक्षद्वीप	3	2.34	-	-	3	2.34
20	मध्य प्रदेश	30	1,936.99	2	343.81	32	2,280.80
21	महाराष्ट्र	18	1,207.19	20	3,206.30	38	4,413.49
22	मणिपुर			3	207.37	3	207.37
23	मेघालय	2	8.94	3	13.76	5	22.70
24	मिज़ोरम	3	51.68	-	-	3	51.68
25	नागालैंड	2	8.00	-	-	2	8.00
26	ओडिशा	128	1,504.57	2	31.00	130	1,535.57
27	पुडुचेरी	1	12.05	4	38.98	5	51.03
28	पंजाब	32	239.26	26	1,003.02	58	1,242.28
29	राजस्थान	21	664.40	10	343.82	31	1,008.22
30	सिक्किम	1	2.00	1	3.00	2	5.00
31	तमिलनाडु	9	2,014.80	9	5,421.22	18	7,436.02
32	तेलंगाना	26	1,310.33	1	113.76	27	1,424.09
33	त्रिपुरा	6	145.19	-	-	6	145.19
34	उत्तर प्रदेश	155	2,778.72	15	1,459.66	170	4,238.38
35	उत्तराखंड	34	199.13	13	156.10	47	355.23
36	पश्चिम बंगाल	28	1,956.84	18	1,504.12	46	3,460.96
कुल		**1,026**	**20,056.64**	**320**	**22,806.31**	**1,346**	**42,862.95**

"शहरी विकास के मामलों में चुनौतियों" के संबंध में 07 अगस्त, 2023 के राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1977 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-II

नल कनेक्शनों की राज्य-वार स्थिति

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	एसएएपी के अनुसार लक्षित परिवार#	अमृत के तहत और अभिसरण में उपलब्ध कराए गए
1	आंध्र प्रदेश	7,28,997	4,14,681
2	अरुणाचल प्रदेश	1,785	1,896
3	असम	1,08,447	72,497
4	बिहार	8,24,823	7,98,311
5	छत्तीसगढ	3,70,151	3,05,388
6	गोवा	400	150
7	गुजरात	1,54,495	20,94,249
8	हरियाणा	2,73,670	3,62,143
9	हिमाचल प्रदेश	13,003	26,676
10	झारखंड	3,61,170	2,97,423
11	कर्नाटक	12,89,119	8,95,213
12	केरल	1,53,387	6,30,466
13	मध्य प्रदेश	10,09,765	14,35,404
14	महाराष्ट्र	19,83,405	11,15,405
15	मणिपुर	33,867	28,947
16	मेघालय	7,170	15,143
17	मिजोरम	12,127	56,535
18	नागालैंड	32,881	5,515
19	ओडिशा	2,91,204	5,18,395
20	पंजाब	4,59,365	2,53,589
21	राजस्थान	6,66,761	6,89,704
22	सिक्किम	4,754	3,907
23	तमिलनाडु	16,15,641	18,02,788
24	तेलंगाना	9,01,031	5,53,349
25	त्रिपुरा	20,130	43,137
26	उत्तर प्रदेश	7,02,907	9,22,015
27	उत्तराखंड	56,347	79,538
28	पश्चिम बंगाल	14,61,620	27,74,504
संघ राज्य क्षेत्र:			
29	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	2,705	7,198
30	चंडीगढ़	24,731	1,76,434
31	दादरा और नगर हवेली और	5,895	22,120
	दमन और दीव	7,528	7,000
32	दिल्ली	1,82,196	7,53,791
33	जम्मू और कश्मीर	1,07,674	77,170
34	लद्दाख	with J&K	1,620
35	लक्षद्वीप	-	
36	पुदुचेरी	7,607	3,925
Total		1,38,76,758	1,72,46,226

एसएएपी – राज्य वार्षिक कार्य योजना

स्रोत: राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत वीसी प्रारूपों से एकत्रित जानकारी

******